[2019] एस. सी. आर. 607

शियो शंकर दुबे और अन्य

बनाम्

बिहार राज्य

(2014 की आपराधिक याचिका संख्या 1617)

मई 09,2019

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ,न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता 1860:धारा. 303-हत्या-अभियुक्त सशस्त्र व्यक्ति पीड़ित को मार डाला-सूचना देने वाला घटना स्थल से भाग गया और प्राथमिकी दर्ज की-अपीलार्थी अपराध सं. 1 से 3 के लिए क्रमशः अपराधों 302/149/148, अपराधों302/149/147 और अपराध 302/147 और 379 के अंतर्गत-उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित-आग्रह याचना पर अभिनिर्धारित किया गयाः निचली अदालतों ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने और सजा सुनाने में न्यायसंगत ठहराया-अभियोजन मामला उनके खिलाफ पूरी तरह से साबित हुआ-अभियोजन गवाह, जो मृतक-पीड़ित के साथ था, ने पूरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी विवरण दिया-केवल यह तथ्य कि गवाह संबंधित था, यह निष्कर्ष नहीं निकालता है कि ऐसा गवाह एक इच्छुक गवाह था-सभी पांचों अभियुक्तों के नाम और पुलिस अधिकारियों द्वारा तुरंत दर्ज की गई भूमिका-अभियोजन गवाह द्वारा अभियुक्तों में से एक के नाम का उल्लेख न करने से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि वह घटना में शामिल नहीं था-नेत्र साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य की पुष्टि की-घटना का कारण साबित हुआ-गवाह-इच्छुक गवाह।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

1. 1 अभियोजन पक्ष गवाह सं.-11, मृतक का भाई, पूरी तरह से अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य में मामले की पुष्टि की।पूरी तरह से जिरह के बावजूद, गवाहों को हिलाया नहीं जा सका। अपीलार्थी का यह निवेदन कि अभियोजन पक्ष गवाह सं. 11 और अभियोजन

पक्ष गवाह सं. 13 मृतक से संबंधित होने के कारण इच्छुक गवाह हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।केवल यह तथ्य कि मृतक मुखबिर का भाई था और अभियोजन पक्ष गवाह सं. 13 मृतक की भतीजी का पति है, किसी भी तरह से उनके साक्ष्य पर महाभियोग नहीं लगाता है। केवल यह तथ्य कि गवाह संबंधित है, इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है कि ऐसा गवाह एक इच्छुक गवाह है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष गवाह सं. 11 और अभियोजन पक्ष गवाह सं. 13 मृतक से संबंधित होने के कारण, उनके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। [कंडिका 10,12] [612-ग-घ; 614-ड़]

> कार्तिक मल्हार बनाम बिहार राज्य, (1996) 1 सर्वोच्च न्यायालय मामला 614 [1995] 5 पूरक सर्वोच्च न्यायालय प्रतिवेदन 239; नामदेव बनाम राज्य महाराष्ट्र (2007) 14 सर्वोच्च न्यायालय प्रतिवेदन 150:[2007] 3 सर्वोच्च न्यायालय प्रतिवेदन 939-संदर्भित।

1.2 अभियोजन पक्ष गवाह सं. 5 ने अपने बयान में कहा कि सुबह 9 बजे वह एस. स्थान पर गया था, जहाँ उसने आर. एन. डी., डी. डी., जे. डी. और एस. डी. नामक अभियुक्त व्यक्तियों को सड़क पर भागते देखा।यह सच है कि उन्होंने अपने बयान में केवल चार लोगों के नामों का उल्लेख किया था, जिन्हें सड़क पर भागते देखा गया था।केवल यह तथ्य कि उन्होंने आर. पी. डी. के नाम का उल्लेख नहीं किया, यह निष्कर्ष नहीं निकाल जा सकता कि आर. पी. डी. घटना में शामिल नहीं था।कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण वह आर. पी. डी. नहीं देख सके। जब अभियोजन पक्ष गवाह सं. 11 और अभियोजन पक्ष गवाह सं. 13, जिनके साक्ष्य पर निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी भरोसा किया है, ने आर. पी. डी. की उपस्थिति और घटना में उनकी भागीदारी को स्पष्ट रूप से साबित किया है। [कंडिका 13] [614-च-छ; 615-क]

1.3 चोटों की प्रकृति विशेष रूप से सिर के पीछे की चोट के कारण अधिकारियों ने जाँच रिपोर्ट दर्ज करते हुए यह विश्वास किया कि गोली सिर के पीछे से प्रवेश की है और मुंह से निकली है।जाँच प्रतिवेदन में दर्ज उपरोक्त धारणा केवल जाँच प्रतिवेदन तैयार करने वाले व्यक्ति की राय थी और जाँच प्रतिवेदन में दर्ज उपरोक्त धारणा और शव-परीक्षण/अत्य परीक्षण प्रतिवेदन में कोई गोली नहीं मिलने के कारण, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता

है कि घटना उस तरीके से नहीं हुई थी जैसा कि अभियोनज पक्ष द्वारा दावा किया गया था। ली की चोट का उल्लेख केवल जांच प्रतिवेदन लिखने वाले अधिकारी की राय थी और किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले को झुठलाता नहीं है जैसा कि चश्मदीद गवाह अभियोजन पक्ष गवाह सं. 11 और अभियोजन पक्ष गवाह सं.13 द्वारा साबित किया गया है। [कंडिका 17] [616-घ-ज]

1.4 अभियोजन पक्ष गवाह सं.11 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि चूँकि उसके भतीजे ने मुखिया के पद के लिए आरोपी एसएसडी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसके कारण एसएसडी अपने मृत भाई से नाराज था।निचली अदालत ने माना कि घटना का मकसद अभियोजन पक्ष गवाह सं.11 के मौखिक साक्ष्य और प्रदर्शनों से साबित हुआ है।[कंडिका 18 और 19] [616-ज; 617 क, घ]

1.5 घटना के आधे घंटे के भीतर, पुलिस स्टेशन 'एस' के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, सूचना देने वाले अभियोजन पक्ष गवाह सं 11 को फर्दबयान को पुलिस ने मौके पर ही रिकॉर्ड कर लिया। सुबह 9:30 बजे फरदबेयान साबित हो गया है। शंकर दुबे और अन्य बनामबिहार राज्य जाँच प्रतिवेदन और जब्ती प्रतिवेदन मौके पर क्रमशः 10.00 AM और 10.15 AM पर प्रदान की गई थी। अगले दिन प्राथमिकी अदालत में भेजी गई। निचली अदालत ने घटनाओं के पूरे क्रम को देखा और सही निष्कर्ष पर पहुंची कि सूचना देने वाले के पास असली दोषियों को छोड़कर अन्य लोगों को फंसाने का कोई अवसर नहीं था। [कंडिका 20] [617-घ-च]

1.6 अभियोजन पक्ष के खिलाफ मामला पूरी तरह से अभियुक्त के खिलाफ साबित हो रहा है। अभियुक्त, मृतक के साथ गए अभियोजन पक्ष गवाह सं.11 के प्रत्यक्षदर्शी ने पूरे मामले का प्रत्यक्षदर्शी विवरण दिया है। घटना के आधे घंटे के भीतर पुलिस अधिकारियों ने सभी पांचों अभियुक्तों के नाम और उनकी भूमिका को तुरंत (सस्थल) मौके पर दर्ज कर लिया है। चिकित्सीय साक्ष्य नेत्र संबंधी साक्ष्य की पुष्टि करते हैं।निचली दोनों अदालतों ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराने और उन्हें सजा सुनाने में कोई त्रुटियां नहीं की है। [कंडिका 21] [618-ख-घ]

वाद विधि संदर्भ

[1995] 5 पूरक (सर्वोच्च न्यायालय प्रतिवेदन)	239
[2007] 3 (सर्वोच्च न्यायालय प्रतिवेदन)	939

आपराधिक याचिका क्षेत्राधिकार: आपराधिक याचिका संख्या 1617/2014।

आपराधिक याचिका (डी. बी.) सं. 410/1990 में पटना में उच्च क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 16.07.2013 से।

अखिलेश के. पांडे, राजीव सिंह, प्रबुद्ध शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्तागण

देवाशीष भरुका, रवि भरुका, सुश्री सर्वश्री, जस्टिन जॉर्ज, आदित्य सिंगला, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण, न्यायाधीश

निर्णय

यह अपील तीन अपीलार्थियों द्वारा पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 16.07.2013 के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और कुछ अन्य धाराओं के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा पर सवाल उठाते हुए उनके द्वारा दायर 1990 की आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 410 को खारिज कर दिया गया है।

2. अभियोजन का मामला यह है कि 16.05.1980 को राजबल्लम राय नामक व्यक्ति अपने भाई राज केश्वर सिंह के साथ सासाराम न्यायालय में आया था। अदालत में अपना काम पूरा करने के बाद मुखबिर अपने भाई के साथ धर्मशाला के पास अपने निवास के लिए चला गया। राज केश्वर सिंह रिक्शा पर थे और मुखबिर साइकिल पर था। रा ज केश्वर सिंह के पास डबल बैरल बंदूक थी। आगे मामला यह है कि लगभग सुबह 09.00 बजे जब वे करगहर मोरे से 50 से 60 गज पूर्व में पहुंचे, तो मुखबिर ने देखा कि दूधनाथ दुसाध, जमादार दुसाध और राम नंदन दुसाध ने रिक्शा रोका। वे लोहबंदा से

लैस थे। शिव शंकर दुबे राइफल से लैस था और उसका भाई राम प्रवेश दुबे लाठी से लैस था। उन्होंने रिक्शा से राज केश्वर सिंह को खींच लिया और लोहबंदा से हमला करना शुरू कर दिया। मुखिया यानी शिव शंकर दुबे ने उन्हें जल्दबाजी में मारने के लिए कहा। सूचना देने वाला फरार हो गया। शिव शंकर दुबे ने गोली चलाई लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी दक्षिण की ओर भाग गए।

3. 9:30 बजे रात्रि में सासाराम पुलिस स्टेशन के एस. एन. सिंह नामक पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे, जिसे राज बल्लम राय ने फर्दबयान दिया था। मुखबिर द्वारा घटना स्थल पर दिए गए फर्दबयान के आधार पर 5 अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 15 गवाह पेश किए।पीडब्लू 11, मुखबिर ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह समर्थन किया। पीडब्लू 13, राघो राम सिंह, जो एक चश्मदीद गवाह भी थे, ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। पीडब्लू 5 एक अन्य चश्मदीद गवाह था, जिसने 4 अभियुक्तों को मौके से भागते हुए देखा। अभियोजन पक्ष द्वारा औपचारिक गवाह भी पेश किए गए।मौके पर पुलिस निरीक्षक सिद्धनाथ सिंह द्वारा भी जब्ती की गई, जिसमें चार आवेदनों की प्रति भी शामिल थी, जो जिला न्यायालय, सासाराम में टाइप की गई थी और मृतक द्वारा अपने साथ एक डायरी में ले जाई जा रही थी, जिसे प्रदर्श 3/2 से 3/5 के रूप में चिह्नित किया गया था।

5. मौके पर ही जांच रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई।शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श 4 के रूप में तैयार की गई थी। एक प्रतिरक्षा गवाह, डीडब्लू १, दशरथ राम को भी पेश किया गया, जो 1961 से 1963 की अवधि के लिए कर्मचारियों का रजिस्टर लाया, जिसमें दिवंगत राज केश्वर सिंह के हस्ताक्षर थे।

6. विचारण न्यायालय ने अपने 14.09.1990 के निर्णय और आदेश द्वारा चार अभियुक्तों को दोषी ठहराया (एक अभियुक्त अर्थात् दूधनाथ दुसाध की विचारण के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी)। अपीलकर्ता नं. १-शिव शंकर दुबे, अभियुक्त नं.

३, को भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२/१४९/१४८ और शस्त्र अधिनियम की धारा २७ के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ता नं. २-राम प्रवेश दुबे, अभियुक्त नं. ४, को भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२/१४९/१४७ के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। तीसरे अपीलकर्ता, अर्थात्, जमादार दुसाध, को भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२/१४७ और ३७९ के तहत दोषी ठहराया गया था। चार अभियुक्त, जिन्हें उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान एक रामनंदन दुसाद की भी मृत्यु हो गई थी, तीन जीवित अभियुक्त इस न्यायालय के समक्ष अपील में हैं।

7. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वत वकील प्रस्तुत करते हैं कि पी डब्लू ११-मुखबिर अपीलार्थी का भाई है और पी डब्लू १३ मृतक की भतीजी का पति होने के नाते, सभी निकट संबंधी और हितबद्ध गवाह थे, निचली अदालतों ने हितबद्ध गवाहों की गवाही पर भरोसा करने में एक त्रुटि की। अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप की पुष्टि करने वाले कोई स्वतंत्रता गवाह नहीं होने के कारण अपीलार्थियों को दोषी ठहराया और सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी डब्लू ५, जिसने एक चश्मदीद गवाह होने का दावा किया और नीचे की अदालतों के समक्ष बयान दिया कि उसने घटनास्थल से चार अभियुक्तों को भागते हुए देखा, उसने अपीलार्थी नं. २, राम प्रवेश दुबे का नाम नहीं लिया है। पी डब्लू ५ ने राम प्रवेश दुबे का नाम नहीं लिया है, लेकिन राम प्रवेश दुबे की मौके पर उपस्थिति साबित नहीं हुई है और नीचे की अदालतों ने इस साक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया है.राम प्रवेश दुबे मौके पर साबित नहीं हो पाने के कारण उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जांच रिपोर्ट में गोली लगने की चोट का उल्लेख किया गया है, जबकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कोई गोली लगने की चोट नहीं पाई गई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कोई बुलेट चोट नहीं पाई गई है, इसलिए पूरा अभियोजन सिद्धांत असंगत है।अपीलार्थी के विद्वत वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थियों के लिए राज केश्वर सिंह को मारने का कोई उद्देश्य नहीं था।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत वकील ने अपीलार्थी के विद्वत वकील की प्रस्तुतियों का खंडन करता है कि मुखबिर पी डब्लू ११ मृतक के साथ था और उसका साक्ष्य भरोसेमंद पाया गया। नीचे के न्यायालयों ने उनके साक्ष्य पर भरोसा करने में कोई त्रुटियां नहीं की। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल यह तथ्य कि पी डब्लू ११ और पी डब्लू १३ मृतक से संबंधित हैं, उनकी सच्चाई पर किसी भी तरह से महाभियोग नहीं चलाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट लिखने वाले व्यक्ति द्वारा निर्णय की त्रुटियां के कारण मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में गोली लगने की चोट का उल्लेख किया गया था। खोपड़ी को एक तरीके से कुचला गया और हड्डियों को तोड़ दिया गया, यह धारणा बनाई गई कि गोली खोपड़ी के पीछे से प्रवेश की और मुंह से बाहर निकली, जिसे अभियोजन पक्ष के मामले के लिए किसी भी तरह घातक नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पी डब्लू ५ एक भरोसेमंद गवाह है, जो मृतक से संबंधित नहीं है और उसने अभियुक्त को मौके से भागते हुए देखा।

9. हमने पक्षकारों के विद्वत वकील की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

10. पीडब्लू 11, जो मृतक का भाई है, ने अपने साक्ष्य में अभियोजन पक्ष के मामले की पूरी तरह से पुष्टि की है। गहन प्रतिपरीक्षा के बावजूद, गवाहों को हिलाया नहीं जा सका।अपीलार्थी का प्रस्तुतिकरण कि गवाह पीडब्लू ११ और पीडब्लू १३ मृतक से संबंधित हैं, हितबद्ध गवाह हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, सराहना नहीं करता है.केवल यह तथ्य कि मृतक मुखबिर का भाई था और पी डब्लू १३ मृतक की भतीजी का पति है और किसी भी तरह से उनके साक्ष्य पर महाभियोग नहीं चलाता है। केवल यह तथ्य कि साक्षी संबंधित है, यह निष्कर्ष नहीं निकालता है कि ऐसा साक्षी हितबद्ध साक्षी है।इस न्यायालय को ऐसे प्रतिवेदन पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कार्तिक मल्हार बनाम राज्य बिहार, (1996) 1 एस. सी. सी. 614, मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक निकट संबंधी, जो बहुत ही स्वाभाविक साक्षी है, को हितबद्ध साक्षी नहीं माना जा सकता है। पैराग्राफ संख्या 15 और 16 में, निम्नलिखित निर्धारित किया गया था:-

"15. अपीलार्थी की ओर से उठाए गए इस तर्क के बारे में कि साक्षी मृतक की विधवा थी और इसलिए, अत्यधिक हितबद्ध थी और उसके कथन को खारिज कर दिया जाए, हम देख सकते हैं कि एक करीबी रिश्तेदार, जो एक प्राकृतिक साक्षी है, को हितबद्ध साक्षी नहीं माना जा सकता है। 'हितबद्ध' शब्द यह अभिनिर्धारित करता है कि साक्षी का अभियुक्त को किसी प्रकार से या किसी अन्य कारण से दोषसिद्ध कराने में कोई प्रत्यक्ष हित होना चाहिए। दलबीर कौर (एमएसटी) बनाम पंजाब राज्य, (1976) 4 एस. सी. सी. 158, मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया हैः (एससीसी पृष्ठ 167-68, पैरा 11)

> “इसके अलावा, एक करीबी रिश्तेदार जो एक बहुत ही स्वाभाविक गवाह है, उसे एक इच्छुक गवाह के रूप में नहीं माना जा सकता है। 'हितबद्ध' शब्द यह अभिनिर्धारित करता है कि संबंधित व्यक्ति का यह देखने में कोई सीधा हित होना चाहिए कि अभियुक्त व्यक्ति किसी तरह से या अन्य को दोषी ठहराया गया है क्योंकि या तो वह अभियुक्त के साथ कुछ भावुक था या किसी अन्य कारण से। यहां ऐसा नहीं है।”

16. दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1953 उच्चतम न्यायालय 364 ने निम्नलिखित रूप में अधिकथित किया हैः

> “एक गवाह को आमतौर पर स्वतंत्रता माना जाता है जब तक कि वह उन स्रोतों से उत्पन्न नहीं होता है जिनके दागदार होने की संभावना है और इसका आमतौर पर मतलब है कि जब तक गवाह के पास आरोपी के खिलाफ शत्रुता जैसे कारण नहीं हैं, उसे झूठा फंसाना चाहते हैं। आम तौर पर, एक करीबी रिश्तेदार असली अपराधी की

> पहचान करने और किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने के लिए अंतिम होता है।यह सच है कि जब भावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और दुश्मनी के लिए व्यक्तिगत कारण होता है, तो एक निर्दोष व्यक्ति को खींचने की प्रवृत्ति होती है, जिसके खिलाफ गवाह को दोषी के साथ वैमनस्य है, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए नींव डालनी चाहिए और रिश्ते का केवल तथ्य जो एक नींव से दूर है, अक्सर सत्य की एक निश्चित गारंटी होती है। हालांकि, हम किसी व्यापक सामान्यीकरण का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारी टिप्पणियां केवल उन मामलों का मुकाबला करने के लिए की जाती हैं जो हमारे समक्ष सामान्य नियम के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों तक सीमित होना चाहिए और उसके द्वारा शासित होना चाहिए।"

11. नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य वाले मामले में आगे (2007) 14 एस. सी. सी. 150, मामले में पहले के निर्णयों का उल्लेख करते हुए इस न्यायालय द्वारा इसी प्रस्ताव को विस्तार से दोहराया गया था। इस न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 29,30 और 38 में उसी प्रस्तुति को अस्वीकार कर दिया, जो निम्नलिखित प्रभाव के हैं:-

> “29. तब यह प्रतिवाद किया गया कि एकमात्र चश्मदीद गवाह, पी डब्लू ६ सोपान और कोई नहीं बल्कि मृतक का पुत्र था। इसलिए, वह 'अत्यधिक रूचि' वाला गवाह था और इसलिए उसके बयान को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अन्य गवाहों द्वारा सामग्री विवरणों में इसकी पुष्टि नहीं की गई है। हम इस तर्क को कायम रखने में असमर्थ हैं।हमारे फैसले में, एक गवाह जो मृतक या किसी अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार है, उसे हितबद्ध के रूप में चिह्नित नहीं किया

जा सकता है। "हितबद्ध" "शब्द यह अभिनिर्धारित करता है कि अभियुक्त को किसी प्रकार से या किसी अन्य अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए दोषी ठहराने में साक्षी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित है।

30. आधी सदी से पहले, दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1953 एससी 364, एक समान प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया।उस मामले में, उच्च न्यायालय ने पाया कि दो चश्मदीदों की गवाही की पुष्टि की आवश्यकता थी क्योंकि वे मृतक के निकट संबंधी थे।उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर टिप्पणी करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह एक पूर्व निर्णय का उल्लेख करते हुए रामेश्वर कल्याण सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 54, यह पाया गया कि यह कई आपराधिक मामलों में आम गलतफहमी थी और इसे दूर करने के प्रयासों के बावजूद, दुर्भाग्य से यह आज भी जारी है, यदि न्यायालयों के निर्णयों में नहीं, तो किसी भी दर पर (दलीप सिंह वाला मामला, ए. आई. आर. पृ.366, पैरा 25)।

38. उपर्युक्त निर्णयज विधि से यह स्पष्ट है कि किसी निकट संबंधी को हितबद्ध साक्षी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। वह एक स्वाभाविक गवाह है। हालांकि, उनके साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। यदि इस तरह की जांच पर, उसका साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभावित और पूरी तरह से भरोसेमंद पाया जाता है, तो दोषसिद्धि ऐसे साक्षी की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है। मृतक या पीड़ित के साथ साक्षी का घनिष्ठ संबंध उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का करीबी रिश्तेदार आमतौर पर असली अपराधी को बख्शने और किसी निर्दोष को झूठा फंसाने के लिए बहुत अनिच्छुक होगा।"

12. इस प्रकार, हम अपीलार्थी के इस प्रस्तुतीकरण को अस्वीकार करते हैं कि पीडब्लू 11 और पीडब्लू 13 मृतक से संबंधित होने के कारण, उनके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

13. अब, अपीलार्थी के विद्वत वकील की अगली प्रस्तुति कि पी डब्लू ५, जिसे एक चश्मदीद गवाह माना जाता है, ने अपने बयान में केवल चार अभियुक्तों के नाम लिए हैं, जिन्हें, उनके अनुसार, घटनास्थल से भागते हुए देखा गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पीडब्लू 5 ने अपीलकर्ता नं. 2, राम प्रवेश दुबे का नाम नहीं लिया.पीडब्लू 5 का बयान रिकॉर्ड पर लाया गया है। पीडब्लू 5 ने अपने बयान में कहा कि सुबह 9 बजे, वह सासाराम गया था और जब वह जी. टी. रोड से लगभग पचास सीढ़ियां दक्षिण में रौजा रोड तक गया, तो उसने अभियुक्तों को देखा, जिनके नाम राम नंदन दुसाध, दुदनाथ दुसाध, जमादार दुसाध और शंकर दुबे हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं। यह सच है कि अपने बयान में, उन्होंने केवल चार व्यक्तियों के नाम का उल्लेख किया, जिन्हें रूजा रोड पर भागते हुए देखा गया था। केवल यह तथ्य कि उन्होंने राम प्रवेश दुबे का नाम नहीं लिया, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि राम प्रवेश दुबे इस घटना में शामिल नहीं था। कई कारण हो सकते हैं कि वो राम प्रवेश दुबे को नहीं देख पाए। जब पीडब्लू 11 और पीडब्लू 13, जिनके साक्ष्य को निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया है, ने स्पष्ट रूप से राम प्रवेश दुबे की उपस्थिति और घटना में उनकी भागीदारी को साबित कर दिया है। केवल यह तथ्य कि पी डब्लू 5 ने राम प्रवेश दुबे को भागते नहीं देखा, न ही उस आधार पर निर्णायक है, हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि राम प्रवेश दुबे घटना में शामिल नहीं था।

14. अब, हम अपीलार्थियों की एक और प्रस्तुति पर आते हैं कि जांच रिपोर्ट में, यह उल्लेख किया गया था कि सिर में पीछे से पैलेट मुंह से बाहर आया है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कोई बुलेट चोट नहीं मिली थी। अनुलग्नक-पी 42 के रूप में लाई गई जांच रिपोर्ट के कॉलम नंबर 5 में निम्नलिखित कहा गया थाः-

> "ऐसा लगता है कि पीछे से सिर में लगी गोली मुंह से निकली है। (अस्पष्ट) हिस्सा काट दिया गया है। आंखों की भौंहें (अपठनीय) होती

हैं।बायीं कोहनी में चोट लगी है। बाईं तरफ भी चोट लगी थी। लैसेरेटेड"

15. हम स्तंभ संख्या 4 में दी गई जांच रिपोर्ट में दिए गए अन्य विवरणों पर ध्यान दे सकते हैं, जो निम्नलिखित हैंः-

"उत्तर-पूर्व दिशा में सिर, दक्षिण दिशा में पैर, ऊपर की ओर मुंह किया हुआ महसूस हुआ, सिर का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, दोनों आंखें बंद हो गईं। आंख काली हो गई है। मुंह में भी चोट।मुंह से भी खून बह रहा है।"

16. अब, हम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर आते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट निकाली गई। निर्णय का पैरा संख्या 12 पैराग्राफ संख्या 12 में दिखाई गई चोटें इस प्रकार हैंः-

"12. XXXXXXXXXXXXX

(i) सिर के पीछे दो कई टुकड़ों में पश्चकपालीय हड्डी के कम्प्यूटेड फ्रैक्चर के साथ विदीर्ण घाव 2 X 1 हड्डी के कुछ टुकड़े मस्तिष्क के आवरण में घुस गए थे। दुरामीटर के अंदर और बाहर खून का थक्का जमा था।मस्तिष्क का एक हिस्सा नरम पाया गया और चोट कम हो गई।आसपास के क्षेत्र के मार्जिन पर कोई कालिख नहीं थी या कोई टैटू नहीं था।

(ii) दाहिनी आंख की भौंहों, दाहिनी मालार की हड्डी और दाहिनी मालार की हड्डी, नाक की हड्डी और दाहिनी मैक्सिला के कई फ्रैक्चर के साथ नाक पुला।

(iii) नाक के बाएं और नीचे चोट 2" "x 1" "बाएं मैक्सिला के फ्रैक्चर के साथ और 1" "x 1/2" "के अंदर से गाल के विदीर्ण कट के साथ।

(iv) होठ के ऊपरी हिस्सा का 1 'x' 2 घर्षण मध्य रेखा।

(v) मुँह में रतन के चक्के के साथ जीभ का बायां मार्जिन ½" x ½" कटा हआ (vi) बाएं घुटने पर ½" x ½" घर्षण

(vii) बाईं बाँह की कलाई पर 1" x ½" का घर्षण ।चोट संख्या (i), (ii) और (iii) कठोर भोथरे पदार्थ के कारण प्रकृति में गंभीर हैं, लाठी और लोहबंदा हो सकता है।

चोट संख्या (iv), (v), (vi), (vii) सरल प्रवृति की है, जो कठोर कुंद के कारण होती है।

पदार्थ, लाठी और लोहबंदा हो सकता है। 12 घंटे के भीतर मृत्यु के बाद समय बीत गया था।

XXXXXXXXXXXXX”

17. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में देखी गई चोटों के अवलोकन से पता चलता है कि सिर के पीछे दो कई टुकड़ों में ऑक्सिपिटल हड्डी की फ्रैक्चर थी। हड्डी के कुछ टुकड़े मस्तिष्क के आवरण में घुस गए थे। दाहिनी मोलर हड्डी, नोसल हड्डी और दाहिनी मैक्सिला के कई फ्रैक्चर भी पाए गए हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पाई गई चोटों की प्रकृति से संकेत मिलता है कि चोटों को देखने के बाद, जांच रिपोर्ट दर्ज करने वाले अधिकारियों ने सोचा कि सिर के पीछे की ओर दो कई टुकड़ों में ऑक्सिपिटल हड्डी टूट गई है और हड्डी के कुछ टुकड़े मस्तिष्क के कवर में घुस गए हैं, गोली सिर के पीछे की ओर से प्रवेश करके मुंह से बाहर निकली, जो जांच रिपोर्ट में देखा गया है और जांच रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी ने नंगी आंखों से चोट को देखकर अपनी राय दी। चोट की प्रकृति, विशेष रूप से सिर के पीछे की चोट ने उसे यह विश्वास हो गया कि गोली सिर के पीछे से प्रवेश की है और मुंह से बाहर निकल गई है। उपर्युक्त प्रभाव दर्ज किया गया। जांच रिपोर्ट में केवल मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति की राय थी और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अभिलिखित उपरोक्त प्रभाव के कारण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गोली नहीं मिलने

के कारण, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घटना इस तरह से नहीं हुई थी जैसा कि अभियोजन द्वारा दावा किया गया था। गोली लगने की चोट का उल्लेख केवल जांच रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी की एक राय थी और किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले को झूठा नहीं ठहराती है जैसा कि पीडब्लू 11 और पीडब्लू 13 के चश्मदीद गवाहों द्वारा साबित किया गया है।

18. अपीलार्थी के विद्वत वकील ने आगे प्रतिवाद किया है कि कोई उद्देश्य साबित नहीं हुआ था। पीडब्लू 11 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि क्योंकि उसके भतीजे ने मुखिया के पद के लिए आरोपी शिव शंकर दुबे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसके कारण शिव शंकर दुबे अपने मृत भाई से नाराज थे। वक्तव्य के पैराग्राफ संख्या 5 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः-

> "5. आरोपी शिवशंकर दुबे घटना के समय मेरी ग्राम पंचायत गोटपार खटाडिहरी का मुखिया था। मेरे भतीजे राम बचन सिंह ने मुखिया के पद के लिए आरोपी श्योशंकर दुबे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। यही कारण से शिव शंकर दुबे मेरे मृत भाई से नाराज था और सभी आरोपियों ने संयुक्त रूप से उसकी हत्या कर दी। इस घटना से तीन से चार दिन पहले बिक्रम दुसाध को जेल भेज दिया गया था। वह अभियुक्त दुदनाथ दुसाध और जमादार दुसाध का पूर्ण भाई था और अभियुक्त राम नंदन दुसाध का पुत्र था। आरोपी इस तथ्य पर संदेह कर रहे थे कि मेरे मृत भाई ने उसे जेल में डाल दिया था।"

19. पैराग्राफ संख्या 58 में, निचली अदालत ने उद्देश्य के बारे में चर्चा की है और यह अभिनिर्धारित किया है कि घटना के उद्देश्य को पीडब्ल्यू11 और प्रदर्श 5 और प्रदर्श 5/1 के मौखिक साक्ष्य से साबित कर दिया गया है।

20. एक और तथ्य है, जिस पर वर्तमान मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। घटना 16.05.1980 को सुबह 9.00 बजे की है और घटना के आधे घंटे के भीतर सासाराम पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुबह साढ़े नौ बजे

फर्दबयान लिखा गया। जांच रिपोर्ट और जब्ती रिपोर्ट क्रमशः प्रातः 10.00 बजे और प्रातः 10.15 बजे मौके पर उपलब्ध कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट 17.05.1980 को न्यायालय को भेजी गई। निचली अदालत ने घटनाओं के पूरे अनुक्रम पर गौर किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचना सही है कि मुखबिर के लिए वास्तविक अपराधियों को छोड़कर अन्य लोगों को फंसाने का कोई अवसर नहीं था। पैराग्राफ संख्या 72,73 और 74 में, निचली अदालत के रिकॉर्ड इस प्रकार हैंः-

> “72. वर्तमान मामले की मुख्य विशेषता यह है कि यह घटना 16-5-80 को सुबह 9 बजे हुई। फार्डबियन घटना के स्थान पर सुबह 9-30 बजे दर्ज किया गया था। घटनास्थल पर जांच रिपोर्ट और जब्ती सूची क्रमशः सुबह 10 बजे और 10.15 बजे तैयार की गई थी। पोस्टमॉर्टम उसी दिन दोपहर 12.10 बजे किया गया था।प्रदर्श 6 (फर्दबयान) प्रदर्श 7 (इन्क्वेस्ट रिपोर्ट), प्रदर्श 8 (जब्ती सूची) और प्रदर्श 4 (पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट)।
>
> 73. एफ. आई. आर. न्यायालय को 17-5-80 को भेजी गई थी। यह स्वीकार किया जाता है कि यह सुबह की अदालत थी और अदालत दोपहर 12 बजे बंद हो जाती है। इसलिए एफ. आई. आर. यथाशीघ्र 17-5-80 को भेजी गई। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और उसे 17-5-80 को हिरासत में भेज दिया गया।यह तथ्य निचली अदालत के 17-5-80 के आदेश पत्र से साबित होता है जो निचली अदालत के समक्ष इस मामले में पहला आदेश पत्र है।
>
> 74. उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित तथ्यों से मुखबिर के लिए वास्तविक अपराधी को छोड़कर अन्य लोगों को फंसाने का कोई अवसर नहीं था। यह गलत निहितार्थ का मामला नहीं हो सकता।"

21. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष का मामला अभियुक्त, प्रत्यक्षदर्शी के विरुद्ध पूरी तरह साबित हो रहा है। पीडब्लू-11 के खाते, जो मृतक के साथ थे, ने पूरी

घटना के चश्मदीद गवाह का विवरण दिया है। घटना के आधे घंटे के भीतर पुलिस अधिकारियों ने सभी पांचों अभियुक्तों के नाम और उनकी भूमिका का तत्काल रिकॉर्ड कर लिया है। चिकित्सा साक्ष्य नेत्र साक्ष्य की पुष्टि करता है। नीचे के दोनों न्यायालयों ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने में कोई त्रुटियां नहीं की है। हमें निचली अदालतों के फैसले में कोई त्रुटियां नजर नहीं आती। अपील में कोई योग्यता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।

(अशोक भूषण, न्यायमूर्ति)

(के एम जोसेफ, न्यायमूर्ति)

नई दिल्ली,

09 मई, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।